न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 99/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. साहबदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
2. कासमदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
3. हाकमदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
4. सकील पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
5. आलम पुत्र स्व0 श्री आसमदीन,
6. शाहरूख पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
7. जरीना पत्नी स्व0 श्री आसमदीन
8. जोयल पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
9. नजराना पुत्री स्व0 श्री आसमदीन नाबालिग जरिये सरपरस्त माता खुद जरीना,
10. हिम्मी पत्नी स्व0 श्री रोशन,
11. लियाकत पुत्र स्व0 श्री रोशन,
12. आईसा पुत्री स्व0 श्री रोशन,
13. रिहाना पुत्री स्व0 श्री रोशन,
14. रूकसार पुत्री स्व0 श्री रोशन,
15. महरम पुत्री स्व0 श्री रोशन,
16. इरफान पुत्र स्व0 श्री रोशन,
17. रेशमी पुत्री स्व0 श्री हुरमत,
18. हकीमन पुत्री स्व0 श्री हुरमत जातियान मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटान

बनाम

1. मक्को पुत्रीं श्री कमलू जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ हाल निवासी ग्राम माचडी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार चांगल, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादीगण ने रेस्पो0 प्रतिवादिनी के खिलाफ विवादित आराजी हाल खाता संख्या 50 में हाल खसरा नंबर 20 रकबा 0.68, 23/162 रकबा 0.06, 24 रकबा 0.15, 28 रकबा 0.05, 31 रकबा 0.03, 45 रकबा 0.03, 94 रकबा 0.14, कुल किता 7 रकबा 1.14 है0 व खाता संख्या 20 में खसरा नंबर हाल 5 रकबा 3.67, 41 रकबा 0.01, 42 रकबा 0.79, 63 रकबा 0.81, 78 रकबा 1.20, 79 रकबा 0.82 कुल किता 6 कुल रकबा 7.30 है0 स्थित ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान की बाबत एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 घोषणात्मक, दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा का तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रामगढ जिला अलवर राजस्थान में पेश किया हुआ है। जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 19.06.2018 विधि विरूद्ध एवं मौके व कब्जे तथा रिकार्ड के खिलाफ खारिज फरमा दिया गया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने, अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में हमारी अनुपस्थिति में पारित किया है। विवादित आराजी खाता संख्या 50 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा खाता संख्या 20 में वर्णित विवादित आराजी भी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जो अबट है।परन्तु खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के पास ज्यादा जमीन होने के कारण सिलिंग के वक्त रेस्पो0 प्रतिवादिनी के नाम बिना कब्ज व बिना प्रतिफल के बयनामा करा दिया था। लेकिन मौके पर कब्जा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है। तहत अदालत में विचाराधीन प्रकरण वास्ते जबाव/बहस नियत चल रहा था। तहत अदालत में प्रतिवादिनी रेस्पो0 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में झूठे आंकडे एकत्रित करने के निहित उद्देश्य से पारित किया है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण कैम्प कोर्ट में नियत करने की कोई विधिवत सूचना हम अपीलांटस को नही दी गई, ना ही कोई नोटिस जारी किये। चूंकि पक्षकारान के अधिकारों का निर्णय मूलवाद के निस्तारण के समय तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य से होगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करने से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा व न्याय का संतुलन

तथा नापूर्ति होने वाली हानि के कानूनी बिंदुओं का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार अलग अलग परिपेक्ष्य में करना जरूरी था लेकिन तहत अदालत ने उक्त बिन्दुओं का निस्तारण विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय 19.06.2018 अपास्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 05, 41, 42, 63, 78, 79 के संबंध में वादीगण अपीलांटस ने मिथ्या कथन करते हुये वाद पेश किया था। उक्त खसरा नंबरान रेस्पो0 मक्को पुत्री कमलू की तन्हा खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नही है। गलत तथ्यों के आधार पर अन्य मुश्तर्का खाता में शामिल खसरा नंबरान के साथ उपरोक्त आराजी जो कि रेस्पो0 के स्वयं की खातेदारी की आराजी है उसे वाद में शामिल करते हुये न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास किये गये हैं। खाता संख्या 50 की आराजी के अलावा खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी को अनावश्यक रूप से विवादित आराजी दर्शाया गया है। वादीगण अपीलांटस का यह कथन कि उक्त खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 को उनके बुजुर्गों से सिलिंग के दौरान मिली है इसके लिये वादीगण अपीलांटस को सिविल कोर्ट में वाद पेश करने की आवश्यकता है राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का वाद सुनने का कानूनन अधिकार नही है। खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 की स्वयं की खरीदशुदा आराजी है जिसकी मालिक तन्हा रेस्पो0 है, जो काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी खसरा नंबरान 05, 41, 42, 63, 78, 79 रेस्पो0 की तन्हा खातेदारी की आराजी है तो बंटवारा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 19.06.2018 का अवलोकन किया।

जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम बाघोडी पटवार हल्का खिलौरा तहसील रामगढ के अनुसार खाता संख्या 20 में अंकित आराजी खसरा नंबर 05 रकबा 3.67है0, खसरा नंबर 41 रकबा 0.01है0, खसरा नंबर 42 रकबा 0.79 है0, खसरा नंबर 63 रकबा 0.81 है0, खसरा नंबर 78 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 79 रकबा 0.82 है0 तन्हा मक्को पुत्री कमलू मेव सा. देह खातेदार दर्ज है।

खाता संख्या 50 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 20, 23/162, 24, 28, 31, 45, 94 हुरमत, मकूल पि. कमलू, मक्को पुत्री कमलू समभाग मेव सा. सरहेटा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

अपील मीमो में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजीयात खाता संख्या 20 को अपीलांट व रेस्पो0 के शामलात कब्जेकाश्त की आराजी व अबट एवं खसरा नंबर 20 को सिलिंग कार्यवाही से बचने बाबत बिना कब्जा व बिना प्रतिफल बयनामा कराने का कथन किया है तथा अंकन किया है कि कब्जा शामलात है।

राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि खाता संख्या 20 में वर्णित आराजी तन्हा रेस्पो0 की है। यदि अपीलांट उस विवादित आराजीयात पर कब्जा का कथन करते हैं तो उसको

वैधानिक नही माना जा सकता है। ऐसा कोई बयनामा पेश नही किया गया जिसमें बिना प्रतिफल, बिना कब्जा का अंकन हो। अपीलांट द्वारा किया गया कथन अवैध व शून्य है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर ही कब्जा की उपधारणा होती है।

इसी प्रकार खाता संख्या 50 रेस्पो0 व अपीलांट की शामलात खातेदारी की आराजी है। शामलात खातेदारी में प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा की धारणा की जाती है। इस मत को 2013 डीएनजे रिवी. 194 में भी व्यक्त किया गया है। रेस्पो0 इस खाता संख्या 50 में सहखातेदार है और अस्थाई निषेधाज्ञा उसके विरूद्ध प्रदान नही की जा सकती है और अपने हिस्सों को विक्रय करने से बाधित नही किया जा सकता है।

इस प्रकार तहत अदालत द्वारा किये गये निर्णय आदेश 07 नियम 11 दिनांक 19.06.2018 में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही पाते हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 19.06.2018 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 26/2/21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर